

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

हेल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन नं. 07432-230403, फैक्स नं. -230404

Email: dm-jha-rj@nic.in

हाटसएप्प हेल्पलाईन-9887320044

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ 689

दिनांक 01.02.2018

आदेश

श्री बृजसुंदर शर्मा आ शिवदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खानपुर जिला झालावाड़ ने इस कार्यालय मे .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा पत्रांक 811 दिनांक 24.01.2018 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा लाईसेंस लेने का कारण स्वयं की सुरक्षा बताया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसकी जान माल की सुरक्षा को खतरा होना प्रतीत होता हो। लाईसेंस लेने का उचित आधार नहीं होने से लायसेंस दिया जाना उचित नहीं बताते हुए असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/

दिनांक .2018

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड़
2. आवेदक श्री बृजसुंदर शर्मा एडवोकेट, पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा, चांदखेडी रोड, खानपुर जिला झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़